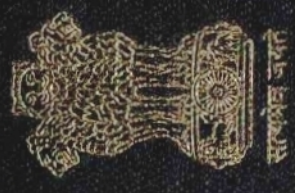


पासपोर्ट
PASSPORT



भारत गणराज्य
REPUBLIC OF INDIA





S1537913

भाता का नाम / Name of Mother

पति या पत्नी का नाम / Name of Spouse

पता / Address

DWARKA, DELHI

पुराने पासपोर्ट का नं. और इसके जारी होने की तिथि एवं स्थान / Old Passport No. with Date and Place of Issue

07/08/2008

NEW DELHI

फाइल नं./ File No.

DL1072436367018

राष्ट्र कोड / Country Code

पासपोर्ट नं. / Passport No.

P

IND

S 15379 13

उपनाम / Surname

VAISHYA

दिया गया नाम / Given Name(s)

ANIRUDH

राष्ट्रीयता / Nationality

लिंग / Sex

Date of Birth

भारतीय / INDIAN

M

01/04/1991

जन्म स्थान / Place of Birth

INDORE, MADHYA PRADESH

जारी करने का स्थान / Place of Issue

DELHI

जारी करने की तिथि / Date of Issue

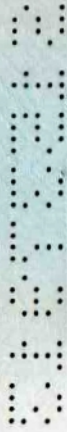
वसुधैव कुटुम्बकम् / Date of Expiry

10/07/2018

09/07/2028

[illegible]

S1537913<1IND9104015M2807096<<<<<<<<<<<<<<8



चेतावनी

विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी से इसके वास्तविक को यदि कोई सूचना मिलती है, जिससे यह पासपोर्ट नष्ट हो जाय, तो उसका तुरंत अनुपस्थान किया जाए।

यह पासपोर्ट एक ही बार ही प्रयोग में लाया जाय। यह पासपोर्ट वास्तविक या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में ही होना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का शेर-बदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट लुप्त हो जाने, चोरी हो जाने, अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में इसके निम्नलिखित अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट वास्तविक विदेश में है तो निम्नलिखित अधिकारी/केन्द्र और स्थानीय पुलिस को तत्काल दी जानी चाहिए। विस्तृत सूचना के बाद ही दुर्लभित पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORIZED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

भारत गणराज्य REPUBLIC OF INDIA

इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सभी से जिनका इससे संबंध हो, अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि वे धारक को बिना किसी रोक-टोक के स्वतंत्र रूप से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आवश्यकता हो।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDERANCE AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के आदेश से
BY ORDER OF THE PRESIDENT
OF THE REPUBLIC OF INDIA



डा. सत्यानंजल पाण्डेय
Dr. SATYANJAL PANDEY
क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी
Regional Passport Officer
नई दिल्ली / New Delhi.